

**Details of Shop Alloted/Vacant in Each Facility Block at IIE SIIDCUL**

**Haridwar**

SNo	Sector	Category (III) 4 Sqmtr Shop No.5	Category (II) 13 Sqmtr Shop No.4	Category (II) 13 Sqmtr Shop No.3	Category (II) 13 Sqmtr Shop No.2	Category (I) 24 Sqmtr Shop No.1
1	IIDC	Sushil Kumar	Monika Hans	<b>Vacant</b>	Pooja Goel(not deposited 50% premium. File moved for cancellation)	<b>Vacant</b>
2	1B	<b>Vacant</b>	Shobhit Banshal	Pran Nath Bhatiya	<b>Vacant</b>	<b>Vacant</b>
3	3A	Jalees Asghar Zaidi	<b>Vacant</b>	<b>Vacant</b>	Urmila Sharma	Babu
4	5A	<b>Vacant</b>	<b>Vacant</b>	<b>Vacant</b>	Anil Kumar Dutta	Dalip Singh(not deposited 50% premium. File moved for cancellation)
5	7	Rajnish Kumar	Farid Khan	Pran Nath Bhatiya	Madhumati sharma	Naheed Saiyad
6	8B	Om Prakash	Suvidha Negi	<b>Vacant</b>	Devendra Sirohi	<b>Vacant</b>

22/2/2015

19/8/15

## नियम व शर्तें।

1. दुकान किराये पर लेने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य है।
2. सिडकुल द्वारा दुकानों का किराया ₹0 700/- प्रति वर्ग मी0 प्रति माह नियत किया जाता है।
- 3- दुकानों का जो भी किराया निर्धारित होगा उसका भुगतान प्रत्येक वित्त वर्ष में किराया 6 माह के अग्रिम के आधार पर दो बार जमा किया जाना होगा। विलम्ब की स्थिति में 15 % ब्याज देय होगा तथा तीन माह के उपरान्त आवंटन निरस्त कर दुकान खाली करा ली जायेगी।
- 4- आवेदन पत्र के साथ आवेदित दुकान के छः माह का किराया तथा ₹0 5,000/- प्रोसेसिंग फी (Non-Refundable) डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। डिमान्ड ड्राफ्ट MD, SIIDCUL, Dehradun के नाम पर देहरादून के किसी भी बैंक में Payable होंगे।
5. दुकानों का रखरखाव स्वयं करना होगा इसके ढांचे में किसी भी प्रकार के परिवर्तन हेतु सिडकुल की पूर्व अनुमति लेनी होगी।
6. सिडकुल में अनुरक्षण मद में निर्धारित दर से प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माह में 30 अप्रैल तक अनुरक्षण व्यय जमा करना होगा। समय से भुगतान न होने की दशा में 15% ब्याज सहित भुगतान करना होगा।
7. सिडकुल किराये पर दी गई दुकानों को तीन माह का समय देकर खाली करवा सकता है। साथ ही किरायेदार तीन माह के एडवांस नोटिस के साथ दुकान खाली कर सकता है। नोटिस न देने की स्थिति में तीन माह का किराया किरायेदार के एडवांस में संयोजित कर दिया जायेगा।
8. दुकान जिस व्यवसाय के लिए किराये पर दी गई है उसी व्यवसाय को करना होगा परिवर्तन करने की दशा में सिडकुल से पूर्व अनुमति, निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्राप्त की जा सकेगी।
9. जिस व्यक्ति को दुकान किराये पर दी जायेगी वह किसी अन्य को स्वयं की मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर सकेगा।
10. आवेदन पत्र के साथ आवेदक का पहचान पत्र एवं पैन कार्ड संलग्न होना आवश्यक है अन्यथा ऐसे आवेदनों को निरस्त समझा जायेगा तथा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. एक व्यक्ति अधिकतम दो दुकानों हेतु ही आवेदन कर सकता है।
12. दुकान का कब्जा आवंटी को देने से पूर्व सिडकुल के साथ किराया अनुबन्ध किया जायेगा जिस हेतु समस्त व्यय आवंटी द्वारा किया जायेगा।



आई0आई0ई0 हरिद्वार के अन्तर्गत दुकान आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक

सिडकुल,

देहरादून।

विषय:— आई0आई0ई0 हरिद्वार के अन्तर्गत दुकान आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

महोदय,

आपके द्वारा समाचार पत्र में दिये गये सूचना के क्रम में प्रार्थी निम्नवत् दुकान को किराये पर लेने हेतु अभिलाषा प्रकट करता है तथा आपके द्वारा दिये गये सभी नियम एवं शर्तों का पूर्ण रूप में पालन करने की शपथ लेता है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा किसी भी नियम अथवा शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो सिडकुल प्रशासन नियमानुसार मेरे विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

मेरे द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तावित दुकान से सम्बन्धित सूचना निम्नवत् है:—

1. सैक्टर सं०
2. दुकान सं०
3. छः माह का किराया (डिमान्ड ड्राफ्ट)
4. आवेदक का पहचान पत्र
5. आवेदक का पैन कार्ड की प्रति
6. व्यवसाय जिस दुकान के आवंटन हेतु आवेदन किया गया है।

आवेदक का नाम एवं पता